



केवल E-Mail/Fax द्वारा

|| कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ||

E-Mail ID: dngarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax- 222080

संख्या 227 / 26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018, दिनांक पौडी जुलाई 27, 2018
आदेश

उक्त कार्यालय के आदेश सं0 3067/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा ग्राम कण्डी में ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कल्बीखाल से साकनी पट्टी मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम साकनी पट्टी पट्टी पूर्वी मनियारस्यू तहसील पौडी के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या-06 एवं ग्राम साकनी छोटी के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या-07 तथा ग्राम घौड़ा के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या-16 से कुल 8.854 हे०.वर्गमी 10(4) में आकृषित भूदा दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत की गयी थी किन्तु उक्त भूमि को वन विभाग के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु पुनः उपयुक्त भूमि का जयन वन विभागाधिकारी श्रीनगर ने अपने पत्र संख्या 247/जे0ए0/2018-19 दिनांक 23.07.2018 के द्वारा कल्बीखाल से साकनीपट्टी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम कण्डी पट्टी शवतस्यू की नॉन जेड0ए0श्रेणी 9(3)ड अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि खाता सं0 1/17 बंजर, खसरा सं0 3 रकबा रकबा 6.417 मध्ये 6.129 हे०, खसरा सं0 18 रकबा 0.895 हे०, खसरा सं0 20 रकबा 1.613 मध्ये 1.315 हे० कुल 8.339 हे० एवं ग्राम मरगुण पट्टी शवतस्यू के नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख 2 ऐसे वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो के खाता सं0 318, खसरा सं0 42 रकबा 16.263 हे० मध्ये 11.000 हे० मध्ये 0.515 हे० कुल दोनों ग्रामों से 8.854 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर संस्तुति की गई है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मकान, पनघट, कब्रिस्तान, धर्मशाला इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है तथा उक्त भूमि राज्य सरकार केशर हिन्द भूमि है जो कि विवाद रहित है।

2. शासनादेश संख्या 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न संवर्गों की योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 हे० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार उपयुक्त भूमि किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधावित किया गया है।

अतः सा0मा0 संख्या 121 (नया 309) के किमी 238 से 243 (मुसागली से पानी) के मध्य मार्ग नौदीकरण हेतु उपजिलाधिकारी बा0पौडी की आस्था एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम कण्डी पट्टी शवतस्यू की नॉन जेड0ए0श्रेणी 9(3)ड अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि खाता सं0 1/17 बंजर, खसरा सं0 3 रकबा रकबा 6.417 मध्य 6.129 हे०, खसरा सं0 18 रकबा 0.895 हे०, खसरा सं0 20 रकबा 1.613 मध्ये 1.315 हे० कुल 8.339 हे० एवं ग्राम मरगुण पट्टी शवतस्यू के नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ख2 ऐसे वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो के खाता सं0 318 खसरा सं0 42 रकबा 16.263 हे० मध्ये 11.000 हे० मध्ये 0.515 हे० कुल दोनों ग्रामों से 8.854 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अभिलेखों में अमलदस्तावेज की कार्यवाही करवा सुनिश्चान करे। इस कार्यालय के पूर्व आदेश सं0-3067/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018 दिनांक 28.06.2018 को निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

- प्रतिलिपि:
- 1- निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी।
 - 3- मोडल अधिकारी/प्रशासकीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी।
 - 4- जिलाधिकारी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0गि0 सतापुली।
 - 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, पौडी।
 - 6- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

श्री निराला सेना (ARE) एवं श्री निराला (ARE) को शवतस्यू बंजर भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण करे।
21/07/18

सुशील कुमार

21/07/18

